-1-

109

R 574- I-17

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

श्री डी. के. पासी (एड.) को द्वारा आज दि. 7-2-17 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. मे. जाग्रति बिल्डर्स
द्वारा पार्टनर एस. आर. सिंह
निवासी मनोरमा कालोनी सागर
2. ज्योति उमाशंकर देवकीनंदन पिता बालकृष्ण
निवासी टैगोर कालोनी खण्डवा म.प्र.
3. मुन्ना उर्फ सूर्यकांत तनय राधा बल्लभ
दीपकुमार वल्द राधा बल्लभ
विक्रमादित्य तनय मुन्नालाल
सभी निवासी सूवेदार वार्ड, सागर म.प्र.
4. पुष्पा सर्विस सोया. सागर,
निवासी ग्राम कनेरादेव तह. व जिला सागर
5. प्रतिभा सिंह पत्नी कमलेश वघेल
निवासी पोद्दार कालोनी सागर म.प्र.

..........आवेदकगण

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

D.K. Pasi (Ad.)
Board of Revenue Motimahal
M.P. Gwalior
Mob. 9753356589

//विरूद्ध//

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

7-2-17

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण क्रमांक 164/अ–6(अ)/11–12 में पारित प्रतिवेदन आदेश दिनांक 23–08–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक क्र.1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय की गई भूमि खसरा नं. 216 में से रकवा 3.892 1.944, 1.300, 0.652, कुल रकवा 7.788 भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था कब्जा वैनामा में दर्शायी गई दिशा के अनुसार है किंतु पटवारी शीट नक्शा में जो तरमीम की गई है वह पेन्सिल लाईन से की गई है जिस पर किसी भी सक्षम न्यायालय का आदेश पारित नहीं हुआ है नक्शा प्रभावित होने के आधार पर मौका कब्जा अनुसार नक्शा दुरूस्त किए जाने हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर विचारण न्यायालय

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-574/I/17 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-17	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण क्रमाँक 164/अ–6(अ)/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 23–08–2016 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक क्र.1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रारंभ किए जाने के उपरांत अनावेदक क्र.2 से 4 की सहमति के आधार पर शपथपत्र के आधार पर मात्र आवेदकगणों की भूमि को कम करते हुए नक्शा बटांक सुधार किए जाने हेतु विधिवत प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक से लेकर तहसीलदार सागर द्वारा विधिवत प्रक्रिया के तहत नक्शा बटांक किए जाने और सुधार किए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था जिसे मान्य न किए जाने से इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय के संपूर्ण प्रकरण एवं प्रस्तुत प्रतिवेदन पर गौर नहीं किया है न ही आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत सहमति शपथपत्र पर विचार किया है। उन्होंने कुल भूमि के कास्तकरों के रकवे में कमी होने के आधार पर प्रतिवेदन को वैद्य नहीं माना है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा मात्र आवेदकगणों की भूमि को कम करते हुए रकवा बराबरी का प्रतिवेदन प्रेषित किया था जिसके संबंध में आवेदकगणों ने अपनी लिखित सहमति शपथ पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है।	

[क्र. प. उ.

R-574.I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4— मैनें आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश, आदेश पत्रिका एवं प्रतिवेदन तथा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार सागर द्वारा अपना प्रतिवेदन सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष प्रेषित किया था जिसमें उन्होंने दिनांक 05.11.2013 को राजस्व निरीक्षक से पुनः प्रतिवेदन देने एवं हितवद्ध पक्षकारों को सूचना हेतु उल्लेख कर प्रकरण किया जाना पाया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के परिपालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 05.11.2015 को पुनः प्रतिवेदन प्रेषित किया है। जिसकी प्रति के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नक्शे में हुई कमी की पूर्ति आवेदकगणों द्वारा विकयपत्र के आधार पर कयशुदा भूमि से की जाना पायी जाती है। जिसके संबंध मे आवेदकगणों द्वारा अपना शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रस्तावित सुधार किए जाने हेतु उल्लेखित किया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 05.11.2015 में अन्य किसी भी पक्षकार के रकवे में कमी किया जाना नहीं पाया जाता है। जिसके परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित प्रतिवेदन आदेश दि. 23.08.2016 वैध नहीं पाता हूँ। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 23.08.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय तहसीलदार सागर को निर्देश दिए जाते है कि वे राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 05.11.2015 के अनुसार रिकार्ड सुधार करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	